



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन-सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

**एमनेस्टी, वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि बढ़ाई
योजनाओं का लाभ अब 31 अगस्त, 2018 तक**

जयपुर, 03 अगस्त। जयपुर डिस्कॉम में चल रही तीन महत्वपूर्ण उपभोक्ता लाभकारी योजनाओं की अवधि को 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में तीनों योजनाएं 31 जुलाई तक ही प्रभावी थी।

जयपुर डिस्कॉम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.जी.गुप्ता ने बताया कि उपभोक्ताओं के अच्छे रुझान को देखते हुए वीसीआर निस्तारण की विशेष योजना, विद्युत एमनेस्टी योजना और कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 अगस्त, 2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

वीसीआर निस्तारण विशेष योजना— योजना के तहत उपभोक्ता/गैर उपभोक्ताओं द्वारा 31 दिसम्बर, 2017 तक की लम्बित वीसीआर का 31 अगस्त, 2018 तक बहुत ही सरल तरीके से अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है। जिसके तहत 50 हजार रुपए तक की वीसीआर राशि पर 50 प्रतिशत एवं यदि वीसीआर की राशि 50 हजार रुपए से अधिक है तो 50 हजार रुपए का 50 प्रतिशत व 50 हजार से अधिक राशि पर 10 प्रतिशत राशि जमा कर वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवाया जा सकता है।

विद्युत एमनेस्टी योजना— एमनेस्टी योजना में बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज व पैनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देय होगी। योजना के तहत अधरेलू औद्योगिक एवं मिक्सड लोड श्रेणी के 31 मार्च, 2017 तक कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ता तथा घरेलू कृषि, एसआईपी (ग्रामीण) श्रेणी व केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन के नियमित/कटे हुए कनेक्शन के उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा चाहे उनके कनेक्शन कभी भी कटे हों।

कृषि उपभोक्ताओं के लिए वीसीआर निस्तारण एवं स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना

कृषि उपभोक्ताओं के लिए लागू लम्बित वीसीआर निस्तारण योजना के अनुसार 31 अगस्त, 2018 तक कृषि कनेक्शन के नियमित उपभोक्ताओं की लम्बित वीसीआर का मूल निर्धारण राशि कम्पाउण्डिंग व सिविल लाईबिलिटी की 10 प्रतिशत राशि जमा कराने पर एकमुश्त निस्तारण कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कृषि उपभोक्ता अपने बढ़े हुए भार की 31 जुलाई, 2018 तक स्वैच्छिक घोषणा कर उसको नियमित करवा सकते हैं। योजना के अन्तर्गत एक वर्ष से अधिक अवधि के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता बिना पैनल्टी के मात्र 30 रुपए प्रति हार्स पावर धरोहर राशि (15 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से दो माह के लिए) जमा करवा कर बढ़े हुए भार को नियमित करवा सकते हैं और जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष नहीं हुआ है उनको बढ़े हुए भार पर धरोहर राशि के अतिरिक्त कृषि नीति के अनुसार नियमितकरण शुल्क भी जमा कराना होगा।

